

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

पत्रांक- 1681 /अमरोहा/19948/2016, दिनांक, लखनऊ, फरवरी 07, 2017

सेवा में,

वन संरक्षक,(नाम से)
मुरादाबाद वृत्त,
मुरादाबाद।

विषय : अमरोहा में बदायूँ-बिजनौर मार्ग (NH-51) के किमी० 113.100 की दायीं पटरी पर ग्राम-निजामपुर शर्की के खसरा सं०-79 में एस्सार ऑयल लि० द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.0759 हे० संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग व उस पर अवस्थित 08 वृक्षों के पातन की अनुमति।

सन्दर्भ: उ०प्र०शासन का पत्रांक-पी-149/14-2-2016-800(148)/2016, दि० 12.01.17
इस कार्यालय का पृष्ठांकन पत्रांक-1531/19948/2016, दि० 20.01.17

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें। उ०प्र०शासन द्वारा अपेक्षित सूचना अभी तक इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुयी है।

अतः प्रकरण में वांछित आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सुरेश चन्द्र)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक- 1681 / , उक्तदिनांक

प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी, अमरोहा को उपरोक्त सन्दर्भित पत्रों के कम में इस आशय से प्रेषित कि उक्तानुसार वांछित आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(सुरेश चन्द्र)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।